"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 59] रायपुर, शनिवार, दिनांक 1 फरवरी 2014— माघ 12, शक 1935

परिवहन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 1 फरवरी 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ 5-9/ आठ-परि./2013. — मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का सं. 59) की धारा 65 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम, 1994 में निम्नलिखित और संशोधन करती है जिसे उक्त अधिनियम की धारा 212 की उप-धारा (1) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार पहले ही प्रकाशित किया जा चुका है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में-

(1) नियम 55-क के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"55-क. ऑनलाईन नीलामी पद्धति द्वारा पंजीयन संख्या (रजिस्ट्रेशन नम्बर) का समनुदेशन.-

(1) नियम 55-ख के अंतर्गत विनिर्दिष्ट पंजीयन संख्या (रजिस्ट्रेशन नम्बर) का आरक्षण, राज्य में प्रचलित समस्त श्रृंखला हेतु, परिवहन विभाग द्वारा निर्धारित ऑनलाईन नीलामी पद्धति साधनों द्वारा किया जायेगा ।

(2) नियम 55-ग के अंतर्गत विनिर्दिष्ट पसंद के संख्याओं (नम्बरों) का आरक्षण, राज्य में प्रचलित समस्त श्रृंखलाओं हेतु, अधिनियम के अनुसार पंजीयन प्राधिकारी द्वारा किया जावेगा ।"

(2) नियम 55–क के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अन्तःस्थापित किया जाये, अर्थात्:–

"55–ख. **ऑनलाईन नीलामी पद्धति के माध्यम से पंजीयन संख्या (रजिस्ट्रेशन नम्बर) का आरक्षण एवं प्रक्रिया.–**

(1) राज्य के समस्त परिवहन कार्यालयों में प्रचलित समस्त श्रृंखलाओं के लिए, पंजीयन चिन्ह् और नीलामी की प्रारंभिक बोली राशि का आरक्षण, जैसा कि नीचे दी गई तालिका–एक में विनिर्दिष्ट है, परिवहन विभाग के द्वारा ऑनलाईन नीलामी पद्धति के माध्यम से किया जायेगा।

तालिका–एक

स.क्र.	समस्त श्रृंखलाओं के लिये ऑनलाईन नीलामी पंजीयन संख्या (रजिस्ट्रेशन नम्बर)	नीलामी की प्रारंभिक बोली राशि
1	0001	रू. 1,00,000/-
2	0007, 0009, 0786	रू. 80,000/-
3	0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0008, 0100, 0404, 1111, 1234, 2222, 3333, 4444, 5555, 6666, 7777, 8888, 9999, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000.	रू. 50,000/-
4	0010, 0011, 0022, 0033, 0044, 0055, 0066, 0077, 0088, 0090, 0099, 0101, 0111, 0123, 0200, 0202, 0222, 0234, 0300, 0303, 0333, 0400, 0444, 0500, 0505, 0555, 0600, 0606, 0666, 0700, 0707, 0777, 0800, 0808, 0888, 0900, 0909, 0999, 1001, 1010, 1212, 2002, 2020, 3003, 3030, 3456, 4040, 5005, 5050, 6060, 7007, 7070, 8008, 8080, 9009, 9090.	रू. 30,000/-

(2) ऑनलाईन नीलामी पद्धति की प्रक्रिया का विनियमन परिवहन विभाग द्वारा किया जायेगा तथा किसी विवाद की स्थिति में, परिवहन आयुक्त का निर्णय, अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।

(3) ऑनलाईन नीलामी में भाग लेने हेतु, प्रत्येक पंजीयन चिन्ह के आरक्षण के लिये अलग–अलग आवेदन, गैर–वापसी योग्य एवं गैर–समायोजन योग्य आवेदन शुल्क रू. 1,000/– (एक हजार मात्र) के साथ ऑनलाईन पद्धति द्वारा जमा करना होगा।

(4) ऑनलाईन नीलामी पद्धति के माध्यम से पंजीयन चिन्ह का आरक्षण, राज्य के किसी व्यक्ति अथवा किसी निगमित निकाय/संस्थान के नाम से किया जायेगा।

(5) ऑनलाईन नीलामी पद्धति के माध्यम से आरक्षित पंजीयन चिन्ह केवल ऐसे वाहन को समनुदेशित किया जायेगा, जो ऐसे चिन्ह के क्रेता के नाम पर रजिस्ट्रीकृत की गई है तथा पूर्वोक्त चिन्ह अ–हस्तांतरणीय होगा।

(6) ऑनलाईन नीलामी पद्धति में, विनिर्दिष्ट पंजीयन चिन्ह को, इसके अधिकतम बोली लगाने वाले के लिए, आरक्षित किया जायेगा तथा अधिकतम बोली के क्रम में दूसरे एवं तीसरे नम्बर पर बोली लगाने वाले को प्रतीक्षा सूची में रखा जायेगा।

(7) (क) ऑनलाईन नीलामी की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात्, अपनी बोली की राशि ऑनलाईन पद्धति से जमा करने के लिये 07 दिवस का समय दिया जायेगा:

परंतु जहां प्रथम सफल बोली लगाने वाला, विनिर्दिष्ट समयावधि के भीतर बोली की राशि जमा करने में विफल रहता है, वहां द्वितीय अधिकतम बोली लगाने वाले को अपनी बोली की राशि जमा करने के लिये 03 दिवस का समय दिया जायेगाः

प्रंतु यह और कि जहां द्वितीय अधिकतम बोली लगाने वाला भी, विनिर्दिष्ट समयावधि के भीतर बोली की राशि जमा करने में विफल रहता है, वहां तृतीय अधिकतम बोली लगाने वाले को अपनी बोली की राशि जमा करने के लिये 03 दिवस का समय दिया जायेगा।

(ख) यदि उपरोक्त उल्लिखित तीनों बोली लगाने वाले, विनिर्दिष्ट समयावधि के भीतर अपनी बोली की राशि जमा करने में विफल रहते हैं, तो ऐसे पंजीयन चिन्ह को आगामी चक्रानुक्रम में ऑनलाईन नीलामी पद्धति के माध्यम से आरक्षण के लिये मुक्त कर दिया जायेगा।

(8) (क) उप–नियम (7) के अन्तर्गत आरक्षित पंजीयन चिन्ह का कोई भी सफल बोली लगाने वाला, बोली की राशि जमा करने की तारीख से 03 माह के अंदर पंजीयन प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत समनुदेशन संख्या (एसाइन्ड नम्बर) का पंजीयन प्राप्त करेगा।

(ख) विनिर्दिष्ट समयावधि के भीतर, पूर्वोक्त का अनुपालन नहीं करने पर, ऐसी बोली स्वमेव निरस्त हुआ समझा जायेगा तथा आरक्षित पंजीयन चिन्ह को आगामी चक्रानुक्रम में ऑनलाईन नीलामी पद्धति के माध्यम से आरक्षण के लिये पुनः मुक्त कर दिया जायेगा।

(9) ऑनलाईन नीलामी पद्धति, सम्पूर्ण राज्य के लिये, वितरक बिन्दु पंजीयन प्रकिया (डीलर प्वाईंट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस) के साथ एकीकृत होगा।"

"55–ग. पंजीयन प्राधिकारी द्वारा पसंद की संख्याओं (नम्बरों) के लिये आरक्षण की प्रक्रिया.–

(1) पसंद की पंजीयन संख्याओं (नम्बरों) को वर्ग "अ", वर्ग "ब" एवं वर्ग "स" के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

(2) वर्ग "अ", वर्ग "ब" एवं वर्ग "स" में उल्लेखित पंजीयन चिन्ह के आरक्षण हेतु, विहित शुल्क का भुगतान ऑनलाईन पद्धति से निम्नानुसार किया जायेगाः–

(क) वर्ग "अ" के अन्तर्गत आने वाले प्रत्येक पंजीयन चिन्ह, जैसा कि नीचे दी गई तालिका–दो में सूचीबद्ध हैं, को शुल्क रू. 25,000/– (पच्चीस हजार मात्र) के भुगतान करने पर आरक्षित किया जायेगा।

तालिका–दो

1221, 1313, 1331, 1441, 1515, 1551, 1414, 1616, 1661, 1717, 1771,
1818, 1881, 1919, 2112, 2121, 2323, 2332, 2345, 2424, 2442, 2525,
2552, 2626, 2662, 2727, 2772, 2828, 2882, 2929, 2992, 3113, 3131,
3223, 3232, 3434, 3443, 3456, 3535, 3553, 3636, 3663, 3737, 3773,
3838, 3883, 3939, 3993, 4114, 4141, 4224, 4242, 4334, 4343, 4545,
4554, 4567, 4646, 4664, 4665, 4678, 4747, 4774, 4848, 4884, 4949,
4994, 5115, 5151, 5225, 5252, 5335, 5353, 5445, 5454, 5757, 5775,
5858, 5885, 5959, 5995, 6116, 6161, 6226, 6262, 6336, 6363, 6446,
6464, 6556, 6565, 6767, 6776, 6789, 6868, 6886, 6969, 6996, 7117,
7171, 7227, 7272, 7337, 7373, 7447, 7474, 7557, 7575, 7676, 7878,
7887, 7979, 7997, 8181, 8228, 8282, 8338, 8383, 8448, 8484, 8585,
8668, 8686, 8778, 8787, 8989, 8998, 9119, 9191, 9229, 9292, 9339,
9393, 9449, 9494, 9559, 9595, 9669, 9696, 9779, 9797, 9889, 9898.

(ख) वर्ग "ब" के अन्तर्गत आने वाले प्रत्येक पंजीयन चिन्ह, जैसा कि नीचे दी गई तालिका–तीन में सूचीबद्ध हैं, को शुल्क रू. 20,000/– (बीस हजार मात्र) के भुगतान करने पर आरक्षित किया जायेगा।

<u>तालिका–तीन</u>

0012, 0013, 0014, 0015, 0016, 0017, 0018, 0019, 0020, 0021, 0023, 0024, 0025, 0026, 0027, 0028, 0029, 0030, 0031, 0032, 0034, 0035, 0036, 0037, 0038, 0039, 0040, 0041, 0042, 0043, 0045, 0046, 0047, 0048, 0049, 0050, 0051, 0052, 0053, 0054, 0056, 0057, 0058, 0059, 0060, 0061, 0062, 0063, 0064, 0065, 0067, 0068, 0069, 0070, 0071, 0072, 0073, 0074, 0075, 0076, 0078, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0089, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0345, 0456, 0565, 0567, 0678, 0789, 1011, 1213, 1314, 1415, 1516, 1617, 1718, 1786, 1819, 1929, 1999, 2021, 2122, 2223, 2324, 2425, 2526, 2627, 2728, 2786, 2829, 2930, 3031, 3132, 3233, 3334, 3435, 3536, 3637, 3738, 3786, 3839, 3940, 4041, 4142, 4243, 4344, 4445, 4546, 4647, 4748, 4786, 4849, 4950, 5051, 5152, 5253, 5354, 5455, 5556. 5657, 5758, 5786, 5859, 5960, 6061, 6162, 6263, 6364, 6465, 6566, 6667, 6768, 6786, 6869, 6970, 7071, 7172, 7273, 7374, 7475, 7576, 7677, 7778, 7879, 7786, 7980, 8081, 8182, 8283, 8384, 8485, 8586, 8786, 8788, 8889, 8990, 9091, 9192, 9293, 9394, 9495, 9596, 9697, 9786, 9899.

(ग) पंजीयन चिन्ह, जो वर्ग "अ" अथवा वर्ग "ब" में विनिर्दिष्ट नहीं है, और जो समनुदेशित अंतिम संख्या से चालू श्रृंखला के अंतिम संख्या तक निरन्तर क्रम में हैं, वर्ग "स" के अन्तर्गत आयेंगे तथा उसको शुल्क रू. 5,000/– (पांच हजार मात्र) के भुगतान करने पर आरक्षित किया जायेगा।

(3) यदि किसी पंजीयन चिन्ह के आरक्षण के लिये ऑनलाईन पद्धति द्वारा किये गये भुगतान की पावती, यान के पंजीयन के समय, पंजीयन चिन्ह के समनुदेशन के लिये पंजीयन प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जायेगा।

(4) मोटरयान के पंजीयन के लिये, मोटरयान अधिनियम, 1988 तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के प्रावधानों के अनुपालन में तथा केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 के प्ररूप–20 में आवेदन के साथ यान को प्रस्तुत करने पर, आरक्षित पंजीयन चिन्ह समनुदेशित किया जायेगा।

(5) यदि पंजीयन चिन्ह के समनुदेशन से तीन माह के भीतर पंजीयन के लिए यान को प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो ऐसे पंजीयन चिन्ह का आरक्षण, स्वमेव निरस्त हुआ समझा जायेगा।

(6) खण्ड (2) के अधीन विनिर्दिष्ट पंजीयन चिन्ह के आरक्षण के लिये भुगतान की गई राशि, वापसी योग्य नहीं होगी।

(7) खण्ड (5) के अधीन निरस्त किया गया पंजीयन चिन्ह, पंजीयन प्राधिकारी द्वारा पुनः समनुदेशित किया जायेगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ईमिल लकड़ा, उप-सचिव.

Raipur, the 1st February 2014

NOTIFICATION

No. F5-9/viii-Trans/2013. — In exercise of the powers conferred by section 65 of the Motor Vehicles Act, 1988 (No. 59 of 1988), the State Government, hereby makes the following further amendment in the Chhattisgarh Motor Vehicles Rules, 1994, the same having been previously published, as required by sub-section (1) of Section 212 of the said Act, namely:-

AMENDMENT

In the said rules,-

(1) For Rule 55-A, the following rule shall be substituted, namely:-

"55-A. Assignment of Registration Number by Online Auction System.-

(1) Reservation of specified registration numbers under Rule 55-B, for all prevalent series in the State, shall be carried out by the means of Online Auction System set up by the Transport Department.

(2) Reservation of specified choice numbers under Rule 55-C, for all prevalent series in the State, shall be carried out by the Registering Authority in accordance with the Act."

(2) After Rule 55-A, the following rules shall be inserted, namely:-

"55-B. Reservation and process of obtaining Registration Number through Online Auction System:-

(1) Reservation of Registration Marks and starting bid price, as specified in Table-I below, for all prevalent series of all Transport Offices in the State, shall be carried out through Online Auction System of the Transport Department.

TABLE-I

S.No.	Online Auction Registration Numbers For All Series	Starting Bid Amount
1	0001	Rs. 1,00,000/-
2	0007, 0009, 0786.	Rs. 80,000/-
3	0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0008, 0100, 0404, 1111, 1234, 2222, 3333, 4444, 5555, 6666, 7777, 8888, 9999, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000.	Rs. 50,000/-
4	0010, 0011, 0022, 0033, 0044, 0055, 0066, 0077, 0088, 0090, 0099, 0101, 0111, 0123, 0200, 0202, 0222, 0234, 0300, 0303, 0333, 0400, 0444, 0500, 0505, 0555, 0600, 0606, 0666, 0700, 0707, 0777, 0800, 0808, 0888, 0900, 0909, 0999, 1001, 1010, 1212, 2002, 2020, 3003, 3030, 3456, 4040, 5005, 5050, 6060, 7007, 7070, 8008, 8080, 9009, 9090.	Rs 30,000/-

(2) The procedure of Online Auction System shall be regulated by the Transport Department and in case of any dispute, the decision of Transport Commissioner shall be final and widely accepted.

(3) For participation in Online Auction, separate applications accompanied by a non-refundable and non-adjustable application fees of Rs 1000/-(One Thousand Only), paid through online mode, shall be made for reservation of each Registration Mark.

(4) Reservation of Registration Mark through Online Auction System shall be in the name of an individual or any corporate body/institution in the State.

(5) Registration Marks reserved through Online Auction System shall be assigned only to the vehicle that is registered in the name of purchaser of such mark and the aforesaid mark shall be non-transferable.

(6) In Online Auction System, specified Registration Mark shall be reserved for its highest bidder and bidders in Second and Third position, in sequence of highest bidding, shall be kept in waiting list.

(7) (a) After completion of the Online Auction process, the highest bidder shall have 07 days to deposit his bid amount through online mode:

Provided that, where the first successful bidder fails to deposit the bid amount within the specified time, the second highest bidder shall have 03 days to deposit his bid amount.

Provided further that, where the second highest bidder also fails to deposit the bid amount within specified time, the third highest bidder shall be given 03 days to deposit his bid amount.

(b) If the above-mentioned three bidders fail to deposit their bid amount within the specified time, such Registration Mark shall be released for reservation through Online Auction System in the next cycle.

(8) (a) Any successful bidder of the reserved Registration Mark, under sub rule (7), shall get the registration of the assigned number done by the Registering Authority within 03 months from the date of deposit of the bid amount.

(b) Non-compliance of the aforesaid, within the specified time, shall deem such bid automatically cancelled and the reserved Registration Mark shall be again released for reservation through Online Auction System in the next cycle.

(9) Online Auction System shall be unified with Dealer Point Registration Process for the entire State.

"55-C. Process of Reservation for Choice Numbers by Registering Authority :-

(1) 'Registration of choice numbers is categorized as Category "A", Category "B", and Category "C".

(2) For reservation of Registration Marks mentioned in Category "A", Category "B", and Category "C", prescribed fees shall be paid by online mode, as follows:-

(a) Each Registration Mark falling under Category "A", as enlisted in Table- II below, shall be reserved on fee payment of Rs 25, 000/- (Twenty Five Thousand only).

TABLE-II

1221, 1313, 1331, 1441, 1515, 1551, 1414, 1616, 1661, 1717, 1771, 1818, 1881, 1919, 2112, 2121, 2323, 2332, 2345, 2424, 2442, 2525, 2552, 2626, 2662, 2727, 2772, 2828, 2882, 2929, 2992, 3113, 3131, 3223, 3232, 3434, 3443, 3456, 3535, 3553, 3636, 3663, 3737, 3773, 3838, 3883, 3939, 3993, 4114, 4141, 4224, 4242, 4334, 4343, 4545, 4554, 4567, 4646, 4664, 4665, 4678, 4747, 4774, 4848, 4884, 4949, 4994, 5115, 5151, 5225, 5252, 5335, 5353, 5445, 5454, 5757, 5775, 5858, 5885, 5959, 5995, 6116, 6161, 6226, 6262, 6336,6363, 6446, 6464, 6556, 6565, 6767, 6776, 6789, 6868, 6886, 6969, 6996, 7117, 7171, 7227, 7272, 7337, 7373, 7447, 7474, 7557, 7575, 7676, 7878, 7887, 7979, 7997, 8181, 8228, 8282, 8338, 8383, 8448, 8484, 8585, 8668, 8686, 8778, 8787, 8989, 8998, 9119, 9191, 9229, 9292, 9339, 9393, 9449, 9494, 9559, 9595, 9669, 9696, 9779, 9797, 9889, 9898.

(b) Each Registration Mark falling under Category "B", as enlisted in Table-III below, shall be reserved on fee payment of Rs 20, 000/- (Twenty Thousand only).

TABLE-III

0012, 0013, 0014, 0015, 0016, 0017, 0018, 0019, 0020, 0021, 0023, 0024, 0025, 0026, 0027, 0028, 0029, 0030, 0031, 0032, 0034, 0035, 0036, 0037, 0038, 0039, 0040, 0041, 0042, 0043, 0045, 0046, 0047, 0048, 0049, 0050, 0051, 0052, 0053, 0054, 0056, 0057, 0058, 0059, 0060, 0061, 0062, 0063, 0064, 0065, 0067, 0068, 0069, 0070, 0071, 0072, 0073, 0074, 0075, 0076, 0078, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0089, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0345, 0456, 0565, 0567, 0678, 0789, 1011, 1213, 1314, 1415, 1516, 1617, 1718, 1786, 1819, 1929, 1999, 2021, 2122, 2223, 2324, 2425, 2526, 2627, 2728, 2786, 2829, 2930, 3031, 3132, 3233, 3334, 3435, 3536, 3637, 3738, 3786, 3839, 3940, 4041, 4142, 4243, 4344, 4445, 4546, 4647, 4748, 4786, 4849, 4950, 5051, 5152, 5253, 5354, 5455, 5556. 5657, 5758, 5786, 5859, 5960, 6061, 6162, 6263, 6364, 6465, 6566, 6667, 6768, 6786, 6869, 6970, 7071, 7172, 7273, 7374, 7475, 7576, 7677, 7778, 7879, 7786, 7980, 8081, 8182, 8283, 8384, 8485, 8586, 8786, 8788, 8889, 8990, 9091, 9192, 9293, 9394, 9495, 9596, 9697, 9786, 9899.

(c) Registration Mark not specified in Category "A" or Category "B", from the last number assigned in consecutive serial order till the end number of the current series, shall fall under Category "C" and shall be reserved on fee payment of Rs 5000/- (Five Thousand only).

(3) Payment receipt, of the payment done by online mode for reservation of Registration Mark, shall be presented to the Registering Authority for the assignment of Registration Mark, at the time of registration of vehicle.

(4) If the vehicle is in compliance of the provisions of the Motor Vehicle Act, 1988 and the rules made thereunder for registration of a motor vehicle and on presentation of the vehicle along with the application in Form-20 of the Central Motor Vehicles Rules, 1989, the reserved Registration Mark shall be assigned.

(5) If the vehicle is not presented for registration within three months from assignment of Registration Mark, reservation of such registration mark shall be deemed cancelled.

(6) The fee paid for reservation of Registration Mark, specified under clause (2), shall be non-refundable.

(7) The Registration Mark cancelled under clause (5) shall be re-assigned by the Registering Authority.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
EMIL LAKRA, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2014.